।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
2/20	09.06.2021	09.02.2022

01– रूद्दार पुत्र स्व० श्री मोहम्मदा पौत्र स्व० श्री गिराड, उम्र करीब 55 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर

–प्रार्थी

बनाम

01– कमरू पुत्र स्व० श्री मोहम्मदा पौत्र स्व० श्री गिराड, उम्र करीब 60 वर्ष जाति मेव

02– अम्मू पुत्र स्व० श्री मोहम्मदा पौत्र स्व० श्री गिराड, उम्र करीब 58 वर्ष जाति मेव

03– सुभान पुत्र स्व० श्री मोहम्मदा पौत्र स्व० श्री गिराड, उम्र करीब 55 वर्ष जाति मेव निवासीयान ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर

04– धन्ना पुत्र स्व० श्री गिराड, उम्र करीब 70 वर्ष जाति मेव

05– मौजी पुत्र स्व० दीगडिया, उम्र करीब 54 साल जाति मेव

06– निजरी पत्नि श्री दीगडिया, उम्र करीब 75 साल जाति मेव

निवासीयान ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम</u>

–:निर्णयः– दिनांकः 09.02.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 28 ऐयर, 77 रकबा 39 ऐयर कुल

सहायक कलक्टर
अलवर

किता 2 रकबा 0.67 है० तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 19 ऐयर किता 2 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 69 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 04 ऐयर किता 7 रकबा 0.88 है० वाके ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। प्रार्थी के दादा गिराड का काफी असरा पूर्व हो गया है। प्रार्थी के पिता मोहम्मा का स्वर्गवास सन् 2013 में निर्वसीयत हो गया, जिनकी विरासत का इंतकाल अभी दर्ज नही हुआ है। इसलिए विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता मोहम्मदा का नाम राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है। मोहम्मदा का स्वर्गवास होने के बाद उनके हिस्से की आराजी पर प्रार्थी एवं असल अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 बतौर कानूनी वारिस काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता मोहम्मदा के हिस्से में मिन प्रार्थी का 1/4 हिस्सा चला आ रहा है, विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 214 में प्रार्थी व उसके भाई असल अप्रार्थी संख्या–2 अम्मू के अलग अलग पुख्ता मकान बने हुए है और इसी खसरा नम्बर में प्रार्थी की पत्नि व बच्चीयों की करीब 5–6 कब्रे बनी हुई है। अन्य पक्षकारों ने भी दीगर आराजीयात मुतनाजा में अपने अपने मकान बना रखे है, जो मकानात काफी पुराने आपसी सहमति व सहुलियत के हिसाब से बने है। प्रार्थी अपने मकान में परिवार के साथ रिहायश करता आ रहा है किन्तु खसरा नम्बर 214 में बने मकानात के अलावा शेष भूमि पर तन्हा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के तीन लडकियां है कोई लडका नही है। जिस कारण अप्रार्थीगण एक राय मशवरा होकर प्रार्थी के हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है तथा प्रार्थी को विवादित आराजी में शान्ति पूर्वक कार्य काश्तकारी नही करने देते तथा आये दिन झगडा करते है। विवादित आराजी को तकसीम कराये बिना दीगर लोगों को रहन बैय हिबा आदि के मुन्तकिल व मकफूल करने की धमकी देते है विवादित आराजी में प्रार्थी के मकान व पत्नि व बच्चीयों को कब्र पर आने जाने में मौके पर चले आ रहे रास्ते से आमद रफत करने मे बेजा रूकावट मजाहमत पैदा करते है। प्रार्थी को बेजा नुकसान पहुॅचाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से तकासमा नही हुआ है।

सहायक कलक्टर
अलवर

इसलिए प्रार्थी का विवादित आराजी के प्रत्येक इंच भाग पर शामलात में कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी के हक हकूक कानूनी रूप से सुरक्षित है। अप्रार्थीगण एक राय मशवरा है। प्रार्थी को तंग परेशान करने से यानि अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आ रहे है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से विधिक रूप से तकासमा कराने के लिए कहा किन्तु असल अप्रार्थीगण बराय बदयान्ति तैयार नही होते तथा 07 जून 2021 असल अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मुश्तर्का कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा की तथा धमकी दी की प्रार्थी को शान्तीपूर्वक काश्त नही करने देगें विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये दीगर लोगों को रहन बैय हिबा के मुन्तकिल करने की धमकी दी ओर यह भी धमकी दी की प्रार्थी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 214 में बने प्रार्थी के मकान में व प्रार्थी की पत्नि व बच्चीयों की कब्र पर भी मौके पर चले आ रहे रास्ते में आमद रफत नही करने देंगे। हाल आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 28 ऐयर, 77 रकबा 39 ऐयर कुल किता 2 रकबा 0.67 है० तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 19 ऐयर किता 2 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 69 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 04 ऐयर किता 7 रकबा 0.88 है० वाके ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर में प्रार्थी के मुश्तर्का कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी करने में रूकावट मजाहमत पैदा नही करने, प्रार्थी के हिस्से से जबरन बेदखन नही करने व खसरा नम्बर 214 में बने हुए रिहायशी मकान व पत्नि व बच्ची की कब्रों पर मौके पर चले आ रहे रास्ते से आमद रफ्त करने में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नही करने तथा तकसीम कराने बिना बेचान नही करने व मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 6 को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 28 ऐयर, 77 रकबा 39 ऐयर कुल किता 2 रकबा 0.67 है० तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 19

सहायक कलक्टर
अलवर

ऐयर किता 2 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 69 रकबा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 04 ऐयर किता 7 रकबा 0.88 है० वाके ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर में प्रार्थी के हिस्से तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधा से पाबन्द किया गया।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के मुश्तर्का कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी करने में रूकावट मजाहमत पैदा नही करने, प्रार्थी के हिस्से से जबरन बेदखन नही करने व खसरा नम्बर 214 में बने हुए रिहायशी मकान व पत्नि व बच्ची की कबों पर मौके पर चले आ रहे रास्ते से आमद रफ्त करने में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नही करने तथा तकसीम कराने बिना बेचान नही करने व मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 09.06.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर Confirm किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर संलग्न वाद रहे।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर